थाना उझानी पुलिस द्वारा गीतम साहू हत्याकाण्ड मे वांछित अभियुक्त राकानाथ को गिरफ्तार किया गया ।

दिनांक 04.12.2022 को श्री वेदराम पुत्र उमराय नि0 ग्राम पिपरौल पुख्ता थाना उझानी बदायूँ द्वारा थाना उझानी पर तहरीर देकर गुमशुदगी दर्ज करायी गयी उसका पुत्र गौरव उर्फ गीतम साहू अपनी वैन ईको कार रजि0 नं0 UP25CV4768 से किराना की फेरी करने गया था लेकिन वापस नहीं आया जिसके आधार पर दिनांक 06.12.2022 को थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 835/22 धारा 364 भादवि पंजीकृत किया गया। दिनांक 10.12.22 को थाना सहसवान क्षेत्र के ग्राम जौनेरे के पास बन्दे के किनारे वादी के पुत्र गीतम साहू की लाश मिली । जिसके आधार पर विवेचना में धारा 302/201/394 भादवि की वृद्धि की गयी तथा दिनांक 12.12.2022 को मृतक गीतम की वैन ईको कार रजि. नं. UP25CV4768 थाना फतेहगंज पश्चिमी जनपद बेरली से बरामद की गयी थी । दिनांक 08.08.2023 को प्रकाश में आये अभियुक्तगण 1. निर्दोष उर्फ नीतेश उर्फ कालू पुत्र रविन्द्र नाथ, 2. रंजीत पुत्र हजारीनाथ नि0 गण ग्राम हरपालपुर थाना उझानी जनपद बदायूँ को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है । आज दिनांक 06.09.23 को मुखबिर की सूचना पर वांछित अभियुक्त राकानाथ पुत्र रविन्द्रनाथ निवासी ग्राम हरपालपुर थाना उझानी जनपद बदायूँ को कल्याण सिंह चौके से गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश कर जिला कारागार भेजा गया ।

पूछताछ विवरण- दौराने पूछताछ गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा बताया गया कि गीतम साहू सैल्स मैन का काम करता था, जो हमारे गांव में ही सामान लेकर आता जाता था इसी आने जाने के दौरान गीतम साहू की मेरे भाई देवेन्द्र की पत्नी रानी से बातचीत होने लगी थी । यह बात मेरे भाई निर्दोष उर्फ नीतेश उर्फ कालू व मेरे भाई के दोस्त रंजीत ने मुझे बतायी थी । फिर मैने व मेरे भाई निर्दोष उर्फ नितेश उर्फ कल्लू व गांव के रंजीत के साथ मिलकर गीतम साहू की हत्या की योजना बनायी। गीतम साहू अपनी वैन लेकर गाँव में शाम को करीब 07 बजे आया । हम लोग उसका इन्तजार गांव से बाहर वाले यात्री शेड पर तीनों लोग बैठकर करने लगे थोडी देर में गीतम साहू अपनी वैन को लेकर गांव की तरफ से आया रात्रि होने के कारण रोड सुनसान थी हम लोगों ने हाथ देकर गाडी रुकवायी और गीतम से बात करने के बहाने गाड़ी में घुसकर दबोचकर गाडी में ही डाल लिया और हम लोग गीतम को गाडी में डालकर सहसवान वाली रोड पर ले गये और रास्ते में मेरे भाई नितिश उर्फ निर्दोष उर्फ कल्लू उसकी कनपटी पर तमंचा रखकर गोली मार दी और गीतम की लाश को बन्दे के किनारे पहुँचकर एक लेहटा के खेत में छिपा दिया और गीतम का मोबाइल भी बन्द कर वहीं सरसों के खेत में फेंक दिया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

राकानाथ पुत्र रविन्द्रनाथ निवासी ग्राम हरपालपुर थाना उझानी जनपद बदायूँ ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. मनोज कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना उझानी,बदायूँ ।

2. उ.नि. श्री दिनेश तिवारी थाना उझानी, बदायूँ ।

3. हे.का. 346 मनोज कुमार थाना उझानी, बदायूँ ।

4. हे.का. 1100 अरविन्द कुमार थाना उझानी, बदायूँ ।

5. का. 1339 रिंकेश कुमार थाना उझानी, बदायूँ ।

सोशल मीडिया सेल

जनपद बदायूं ।